न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 36/2023

अपीलांट –

गोमाराम पुत्र अखाराम जाति जाट निवासी झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार बायतु
2. कुम्भाराम पुत्र सरदाराराम
3. गेनी पत्नी हड़मानराम
4. चेतनराम पुत्र पोकरराम
5. तुलछाराम पुत्र केहराराम
6. देदाराम पुत्र हड़मानराम
7. नैनाराम पुत्र धनाराम
8. पुनमाराम पुत्र पोकरराम
9. मुकनाराम पुत्र पोकरराम
10. मूलाराम पुत्र हड़मानराम
11. वीरादेवी पत्नी पोकरराम
12. हड़मानराम पुत्र पोकरराम
13. हीराराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर
14. कमला पुत्री मोतीराम पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी रामसर आगोर तहसील रामसर जिला बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 794 दिनांक 19.08.2008 जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री नरपत पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री भीमाराम कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट ... की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:43:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 03.06.2025

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम आदर्श झाक पटवार मण्डल झाक तहसील बायतु के नामान्तरकरण सं. 794 पर तहसीलदार बायतु द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 19.08.2008 के विरूद्ध दिनांक 17.08.2023 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा आदर्श झाक के खसरा संख्या 8 रकबा 56–4439 हैक्टेयर, खसरा नंबर 346/8 रकबा 8–0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 347/8 रकबा 3–1956 हैक्टेयर भूमि स्व. रामाराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी। गत पैमाईश संवत 2011–2012 से रामाराम के पुत्र बादरा, हरलाल, आदा के फौत हो जाने उक्त खेत धना, रूपा पिसरान बादरा, सरदारा, पेमा, धुड़ा पिसरान हरलाल, पोकर, केहरा पिसरान आदा के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। उपरोक्त खसरों में से खसरा नंबर 8 की 50 बीघा का बेचान धना पुत्र बादरा द्वारा गोमा पुत्र अखा को किया गया। इस प्रकार खसरा नंबर 8 में धन्ना द्वारा बेचान करने से उसके हिस्से में भूमि लगभग 19 बीघा 15 बिस्वा शेष रहती है। खातेदारान धुड़ा के फौत होने जाने के बाद उनकी पुत्री खेतु को उक्त खसरों में खातेदारान नहीं बनाये जाने से प्रार्थीनी खेतु द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बाड़मेर बमुकदमा संख्या 69/1999 अनवान खेतु बनाम धना व अन्य नाम से एक दावा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत बंटवाडा, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जिसमें डिक्री आदेश दिनांक 05.05.2008 में प्रार्थीनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम खेतरलाई (झाक) के खसरा नंबर 546 रकबा 376 बीघा, खसरा नंबर 548 रकबा 93–12 बीघा भूमि में धना, हुकमा, गोमा को खसरा नंबर 8 की 1/3 भूमि में बेचान के आधार पर सहखातेदार रहेगे। न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2008 के अनुसरण में नामान्तरकरण सं. 794 दिनांक 19.08.2008 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया गया। अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:43:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा तहसीलदार बायतु के इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 19.08.2008 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

3. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से लिखित बहस द्वारा निवेदन किया हैं कि मौजा आदर्श झाक के खसरा संख्या 8 रकबा 56–4439 हैक्टेयर, खसरा नंबर 346/8 रकबा 8–0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 347/8 रकबा 3–1956 हैक्टेयर भूमि स्व. रामाराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 8 में से पूर्व खातेदार धना पुत्र बादरा से जरिये रजिस्ट्री बेचान नामान्तरकरण संख्या 344 दिनांक 21.06.1976 द्वारा भरकर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करते हुए अलग से खसरा नंबर 346/8 कायम किया गया। इसी वादग्रस्त आराजी बाबत खेतू पुत्री धुड़ाराम पत्नि मोतीराम द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बाड़मेर बमुकदमा संख्या 69/1999 अनवान खेतु बनाम धना व अन्य नाम से एक दावा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत बंटवाडा, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जिसमें डिक्री आदेश दिनांक 05.05.2008 में प्रार्थीनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम खेतरलाई (झाक) के खसरा नंबर 546 रकबा 376 बीघा, खसरा नंबर 548 रकबा 93–12 बीघा भूमि में धना, हुकमा, गोमा को खसरा नंबर 8 की 1/3 भूमि में बेचान के आधार पर सहखातेदार रहेगे। न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2008 के अनुसरण में नामान्तरकरण सं. 794 दिनांक 19.08.2008 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया उसमे अपीलांट को खसरा नंबर 8 में संयुक्त करते हुए जमीन न देते हुए अलग–अलग खसरों में जमीन देकर मौके व कब्जे से भिन्न भूमि का नामान्तरकरण संख्या 794 दिनांक 19.08.2008 ... किया है जो निरस्त योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:43:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. रेस्पोडेंट सं. 2 से 14 के अधिवक्ता को बहस हेतु समुचित अवसर प्रदान करने एवं लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद कोई मौखिक या लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किये जाने से एकपक्षीय सुनवाई अमल में लाई गई।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा आदर्श झाक के खसरा संख्या 8 रकबा 56–4439 हैक्टेयर, खसरा नंबर 346 / 8 रकबा 8–0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 347 / 8 रकबा 3–1956 हैक्टेयर भूमि स्व. रामाराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी। गत पैमाईश संवत 2011–2012 से रामाराम के पुत्र बादरा, हरलाल, आदा के फौत हो जाने उक्त खेत धना, रूपा पिसरान बादरा, सरदारा, पेमा, धुड़ा पिसरान हरलाल, पोकर, केहरा पिसरान आदा के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। उपरोक्त खसरों में से खसरा नंबर 8 की 50 बीघा का बेचान धना पुत्र बादरा द्वारा गोमा पुत्र अखा को किया गया। इस प्रकार खसरा नंबर 8 में धन्ना द्वारा बेचान करने से उसके हिस्से में भूमि लगभग 19 बीघा 15 बिस्वा शेष रहती है। खातेदारान धुड़ा के फौत होने जाने के बाद उनकी पुत्री खेतु को उक्त खसरों में खातेदारान नहीं बनाये जाने से प्रार्थीनी खेतु द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बाड़मेर बमुकदमा संख्या 69 / 1999 अनवान खेतु बनाम धना व अन्य नाम से एक दावा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत बंटवाडा, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जिसमें डिक्री आदेश दिनांक 05.05.2008 में प्रार्थीनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम खेतरलाई (झाक) के खसरा नंबर 546 रकबा 376 बीघा, खसरा नंबर 548 रकबा 93–12 बीघा भूमि में धना, हुकमा, गोमा को खसरा नंबर 8 की 1/3 भूमि में बेचान के आधार पर सहखातेदार रहेगे। न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2008 के अनुसरण में नामान्तरकरण सं. 794 दिनांक 19.08.2008 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया उसमे अपीलांट को खसरा नंबर 8 में संयुक्त कर जमीन न देते हुए अलग–अलग खसरों में जमीन देकर मौके व कब्जे से भिन्न भूमि का नामान्तरकरण संख्या 794 दिनांक 19.08.2008 पारित किया है जो निरस्त योग्य हैं। इसी प्रकार उक्त नामान्तरकरण पारित करते समय उतरदाता संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी में खेत [illegible] के पुनः छोटे–छोटे टुकडे कर दिये है तथा अपीलांट को उसकी खरीद [illegible] 50 बीघा जमीन सम्पुर्ण न देकर केवल मात्र 30 बीघा [illegible] मौके पर आज भी 50 बीघा जमीन पर एकमुश्त कब्जा है। उतरदाता संख्या 1 द्वारा खातेदारान की वास्तविक कब्जा काश्त की कोई जांच नहीं की गई और न ही वास्तविक कब्जा बाबत कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:43:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

टिप्पणी का इन्द्राज नामान्तरकरण की पुश्त पर इन्द्राज किया जिस कारण भी आलोच्य आदेश सम्पूर्ण मौके जांच के अभाव मे काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, लिखित बहस, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण एव उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा डिक्री आदेश दिनांक 05.05.2008 के तथ्यों का अवलोकन किया कि जिसमें पाया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खेतरलाई (झाक) के खसरा नंबर 546 रकबा 376 बीघा, खसरा नंबर 548 रकबा 93–12 बीघा भूमि में धना, हुकमा, गोमा को खसरा नंबर 8 की 1/3 भूमि में बेचान के आधार पर सहखातेदार रहेगे। जबकि खसरा नंबर 8 में से 50 बीघा का बेचान धना पुत्र बादरा द्वारा गोमा पुत्र अखा को किया गया। इस प्रकार खसरा नंबर 8 में धन्ना द्वारा बेचान करने से उसके हिस्से में भूमि लगभग 19 बीघा 15 बिस्वा शेष रहती है परन्तु तहसीलदार बायतु द्वारा नामान्तरकरण संख्या 794 आदेश पारित करते समय खसरा नंबर 8 में 50 बीघा भूमि पर अपीलांट के साथ धना पुत्र बादरा व अन्य को सहखातेदारान के रूप में संयुक्त खातेदारान के रूप में दर्ज की गई। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 794 विधिविरूद्ध एवं न्यायालय आदेश के प्रतिकूल होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बायुत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 794 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बाटाडू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि ग्राम खेतरलाई (झाक) के खसरा नंबर 8 में अपीलांट व अन्य सहखातेदारान की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन स्वीकृति आदेश की अनुपालना में नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:43:57 IST
Reason: SelfAttested